# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

| अपील संख्या | रजि0नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 12/182/2017 | 2017/00250 | 17–11–2017 | 25–07–2024 |

01– जसराम पुत्र धनीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नंगला चिरावडा तहसील रामगढ जिला अलवर ।

–अपीलाण्ट

बनाम

01– तहसीलदार रामगढ तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक 05.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 361/2017

उपस्थितः–

01–श्री जनार्दन शर्मा –वकील अपीलाण्ट

–: निर्णय :–

अपीलान्ट ने यह अपील तहत अदालत तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 05.10.2017 प्रकरण संख्या 361/2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को आराजी मुतनाजा से बेदखल कर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश दिया गया, से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 की जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय रामगढ जिला अलवर राज० के निर्णय दिनांक 05–10–2017 प्रकरण संख्या 361/2017 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 14–11–2017 को हुई, जब मुकामी पुलिस द्वारा तहसीलदार रामगढ के द्वारा जारी आदेश के तहत अपीलान्ट को गिरफ्तार करने की जानकारी प्राप्त हुई। इस पर अपीलान्ट द्वारा तहसील में जाकर जानकारी प्राप्त कर नकल के लिए प्रार्थना–पत्र दिनांक 14–11–2017 को पेश किया, जो नकल दिनांक 14–11–2017 को तैयार होकर दिनांक 15–11–2017 को प्राप्त हुई। इस प्रकार प्रथम जानकारी दिनांक 14–11–2017 से अपील अन्दर अवधि पेश है। रफाये हुज्जत प्रार्थना–पत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से पेश किया जा रहा है। यह कि अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ की है, जो श्रीमान के श्रवण योग्य है। आराजी मुतनाजा खसरा नंबर 990/1258 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टर किस्म चारागाह स्थित ग्राम नंगला चिरावडा पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये गये है। जो आदेश विधिक विरूद्ध होने के काबिल निरस्त है। अपीलान्ट के द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर चारागाह पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त आराजी से अपीलान्ट द्वारा अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है तथा भविष्य में भी दुबारा उक्त रकबे पर अतिक्रमण नहीं करेगा। इस तथ्य की ओर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करके निर्णय पारित किय है, जो निर्णय काबिल निरस्त हैं। अपीलान्ट की आराजी की पैमाईश किये बिना ही अपीलान्ट को अतिक्रमी घोषित किया गया है, जबकि अपीलान्ट का उक्त रकबे में कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट द्वारा उक्त चारागाह आराजी पर पूर्व में कभी अतिक्रमण नहीं किया गया तथा ना ही अपीलान्ट को पूर्व में कभी बेदखल किया गया। इस प्रकार अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये न्यायालय द्वारा जो निर्णय

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

पारित किया गया है, वह निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त है। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को बिना सुनवाई एंव साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन निर्णय विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के विपरीत पारित किया है, जो काबिल निरस्त है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज० का निर्णय दिनांक 05–10–2017 प्रकरण संख्या 361/2017 निरस्त फरमायी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनाक 05.10.2017 के विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 17.11.2017 को पेश की गयी है जो करीब 36 दिन विलम्ब से पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलाण्ट पूर्व में अतिक्रमी रहा है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अपीलांट को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अपीलाण्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी पर से प्रार्थी ने अतिचार हटा लिया है और भविष्य में अतिचार नहीं करेगा। वकील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में भी हलफनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि आराजी खसरा नंबर 990/1258 रकबा 1.10 हैक्टेयर में से 0.35 हैक्टर किस्म चारागाह स्थित ग्राम नंगला चिरावडा से मैंने अतिक्रमण हटा लिया है और मैं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूंगा। अपीलाण्ट के हलफनामे के आधार पर अपीलाण्ट की अपील अपीलाण्ट की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

**निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)